

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या
11/47/2019

प्रवेश तिथि
01-10-2019

निर्णय दिनांक
10-11-2020

01. राम सहाय पुत्र मनीराम जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा तहसील बहरोड,
अलवर।

अपीलान्त

वनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरोड।
02. जोरावर सिंह पुत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम खरखडा तहसील बहरोड,
अलवर। (मृतक)
- 2/1. निहाल सिंह पुत्र जोरवर सिंह अहीर खरखडा तहसील बहरोड।
- 2/2. महेन्द्र पुत्र जोरवर सिंह अहीर खरखडा तहसील बहरोड।
- 2/3. रामचन्द्र पुत्र रामसिंह पौत्र जोरवर सिंह अहीर खरखडा तहसील बहरोड।
- 2/4. धासीराम पुत्र रामसिंह पौत्र जोरवर सिंह अहीर खरखडा तहसील बहरोड।
- 2/5. श्रीमती दडकली बेवाह जोरवर सिंह अहीर खरखडा तहसील बहरोड।

रैस्पॉडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार बहरोड दिनांक
27-02-2000 वावत इन्तकाल सं० 7 वाके ग्राम
खरखडा तहसील बहरोड जिला अलवर।

उपस्थित :-

01. श्री सुरेश चन्द शर्मा

-वकील अपीलान्त

---:: निर्णय ::---

अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक
27-02-2000 जिसके द्वारा इन्तकाल सं० 07 वाके ग्राम वाके ग्राम खरखडा तहसील
बहरोड जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पॉ० को जरिये नोटिस तलब किया गया
एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पॉ० वावजूद सूचना उपस्थित नहीं।
बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को
दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत ने अपीलान्त के पीछे से बिना सुने एवं बिना
जांच किये हुए रैस्पॉ० संख्या-2 से मिली भगत से एकतरफा में अपीलीय निर्णय पारित
किया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 24 व 34 वाके ग्राम बसई तहसील बहरोड में
स्थित है जिस आराजी के रैस्पॉ० संख्या-2 जोरावर सालिग राम व श्योराम पुत्र श्योसहाय
अहीर खातेदार काश्तकार थे। सालिगराम का देहान्त हो चुका है उनके वारिसान रोहिताश.

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

रामनिवास, महावीर, व कृष्ण कुमार ने अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 14.09.1987 को अपीलान्त मूलचन्द के बेच दिया तथा श्योराम ने अपना 1/3 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 14.09.1987 को रामसहाय को बेच दिया तथा शेष 1/3 हिस्सा जोरावर का था। जोरावर व अपीलान्त के मध्य दौराने बन्दोबस्त अपनी-अपनी कुछ आराजी का पारिवारिक समझौता के द्वारा बदले का लिखित में समझौता अपीलान्त व रैस्पा0 संख्या 2 के मध्य अपनी-अपनी आराजी को बदलने का हुआ उसे बन्दोबस्त के समय अधिकारियों के समस्त प्रस्तुत किया जो जांच व गौर समझौता स्वीकार करने के पश्चात् आदेश पारित किया, जिस आदेश पर अपीलान्त व रैस्पा0 संख्या 2 व अन्य काश्तकारों के हस्ताक्षर है। आदेश के तहत आराजी का राजस्व रिकार्ड में अमल कर दिया गया था। राजस्व रिकार्ड में अमल होने के पश्चात जोरावर अहीर का आराजी खसरा नम्बर 24 व 34 का खातेदार काश्तकार नहीं रहा और ना ही आराजी पर कब्जा वर्तमान में है, सम्पूर्ण आराजी पर अपीलान्त का कब्जा है। तहत अदालत ने इन्तकाल तस्दीक करते समय बखूबी ज्ञान था कि विवादित आराजी पर अपीलान्त का कब्जा है। रैस्पा0 संख्या 2 को आराजी से कोई लेना देना नहीं है फिर भी रैस्पा0 संख्या 2 से मिली भग करके गैर कानूनी व फर्जी की जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। तहत अदालत ने बिना जांच किए अपीलान्त निर्णय पारित कर अहम कानूनी भूल की है। इन्तकाल दर्ज व निर्णित कर दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरित है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 02.06.2014 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर स्वीकार फरमाई जावे। अपने कथन की पुष्टी में 100/-रुपये के स्टाम्प पर लिखित इकरारनामा (समझौता पत्र) दिनांक 12.5.2016 जो रैस्पा0 संख्या 2/1 लगायत 2/5 के हस्ताक्षर युक्त पेश किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्त ने यह अपील आदेश दिनांक 27-02-2000 के विरुद्ध दिनांक 17.06.14 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 14 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा-5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है रैस्पा0 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं। अपीलान्त वकील ने अपील के कथन की पुष्टी में जो इकरारनामा (समझौता पत्र) पेश किया उस पर रैस्पा0 संख्या 2/1 ला0 2/5 ने उक्त आराजीयात के हम प्रथम पक्षकारों के पिताजी, दादाजी, पति जोरावर का 1/3 हिस्सा द्वितीय पक्षकार मूल चन्द व रामसहाय पुत्रान मीनाराम जाति अहीर निवासी खरखडा के नाम वरावर हिस्से में इन्तकाल चढा दिया जावे हम को किरसी प्रकार का एतराज नहीं

जिला क्लर्क
अलवर (राज०)

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। तहसीलदार बहरोड का आदेश दिनांक 27-02-2000 बाबत इन्तकाल संख्या 7 ग्राम खरखडा तहसील बहरोड निरस्त किया जाकर तहसीलदार बहरोड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधि अनुसार पक्षकारान को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार बहरोड को तहत रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-11-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जि. त. (आ. न. स्. डी.) ट. र.
जिल्ला कलकत्ता, अलवर

